न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 166/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/450

वादी	बनाम	प्रतिवादी
सूरजाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर 2.मेराराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पुनमाराम चौधरी,अधिवक्ता वादी
2. श्री जालमसिंह राठौड़ा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02
3. प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित।

:–निर्णय:–

दिनांक 24.6.24

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1146,1152,1166,1167 कुल क्षेत्रफल 8.3771 हैक्टयर व ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1100 क्षेत्रफल 4.8077 हैक्टयर एवं ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1380,712 कुल क्षेत्रफल 1.6939 हैक्टयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 की सह–खातेदारी में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेन्टलमेट वादी के पिता माना की सहखातेदारी में दर्ज थी। वादी के पिता माना का देहान्त होने पर मरे गए फोतदगी नामान्तकरण में वादी का घेरलू बोलचाल भाषा में सूरजाराम के स्थान पर अशुद्व प्रविष्टि सूजा इन्द्राज कर दी गई,अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि वादी का वास्तविक नाम सूरजाराम [illegible] में दायर अशुद्व प्रविष्टि सूजा पुत्र माना के स्थान पर सही नाम [illegible] करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.26 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी [illegible] जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब [illegible]। प्रतिवादी का सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जालमसिंह राठौड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से वादी

सहायक कलक्टर
(S.D.O) बालोतरा

के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश किए जाने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी सूरजाराम द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1146,1152,1166,1167 कुल क्षेत्रफल 8.3771 हैक्टयर व ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1100 क्षेत्रफल 4.8077 हैक्टयर एवं ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1380,712 कुल क्षेत्रफल 1.8939 हैक्टयर अवस्थित है। वादी का धरेलू बोलचाल भाषा में सूजा नाम से पुकारे थे। वादी के पिता का देहानत होने पर फोतदगी नामान्तकरण भरते समय वास्तविक नाम सूरजाराम के स्थान पर सूजा दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम सूरजाराम है। लेकिन अशुद्व प्रविष्टि सूजा इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक सूरजाराम दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम सूरजाराम के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम सूजा के स्थान पर सूरजाराम पुत्र मानाराम इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 02 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम सूरजाराम के स्थान पर सूजा गलत इन्द्राज हो रखा है,जो दुरूस्ती किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1146,1152,1166,1167 कुल क्षेत्रफल 8.3771 हैक्टयर व ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1100 क्षेत्रफल 4.8077 हैक्टयर एवं ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1380,712 कुल क्षेत्रफल 1.8939 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होना बताया है। प्रदर्श–13 से 15 दस्तावेज आधार कार्ड,आयकर विभाग द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.26 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पेन कार्ड एवं एस.बी.आई.शाखा कल्याणपुर द्वारा जारी बैंक डायरी प्रति में वादी का सूरजाराम पुत्र मानाराम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 02 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया तथा बहस में स्वीकार किया है कि वादी उसका भतीज लगता है। वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम सूजा दर्ज हो रखा है,जबकि वादी का वास्तविक नाम सूरजाराम है। इससे प्रमाणित होता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी दुरूस्ती करवाने का हकदार है। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम सूजा के स्थान पर सूरजाराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1146,1152,1166,1167 कुल क्षेत्रफल 8.3771 हैक्टयर व ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1100 क्षेत्रफल 4.8077 हैक्टयर एवं ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1380,712 कुल क्षेत्रफल 1.8939 हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि सूजा पुत्र माना के स्थान पर सूरजाराम पुत्र मानाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.26 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 166/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/450

वादी	बनाम	प्रतिवादी
सूरजाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर 2.भेराराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–24.6.2024

वादी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री जालमसिंह राठौड़ अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 24.6.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1146,1152,1166,1167 कुल क्षेत्रफल 8.3771 हैक्टयर व ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1100 क्षेत्रफल 4.8077 हैक्टयर एवं ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1380,712 कुल क्षेत्रफल 1.8939 हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि सूजा पुत्र माना के स्थान पर सूरजाराम पुत्र मानाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 24.6.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अ[illegible] स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प[illegible]र की [illegible]स	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों [illegible]ए निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश[illegible] की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.07.26 13:54:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा